

**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 2368**  
04.08.2025 को उत्तर के लिए

**लद्दाख में वन्यजीव अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र**

**2368. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:**

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को लद्दाख में मानव-वन्यजीव संघर्ष और विशेषकर हिम तेंदुओं तथा जंगली याकों के साथ संघर्ष की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;
- (ख) यदि हाँ, तो लद्दाख में वन्यजीवों के हमले के कारण पशुधन की हानि या फसलों को हुई क्षति के लिए उपलब्ध प्रतिकर योजनाओं का व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस क्षेत्र में किसी वन्यजीव गलियारे या पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र को चिह्नित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या लद्दाख में वन्यजीव अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**

**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) और (ख): संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लद्दाख में जंगली जानवरों के हमले के कारण किसी भी प्रकार की मानवीय क्षति की सूचना नहीं मिली है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जंगली जानवरों के हमले के कारण पशुधन की हानि निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	पशुधन पर हमले के मामलों की संख्या	मारे गए पशुओं की संख्या
2022-23	424	1577
2023-24	402	1093
2024-25	447	1380

संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख प्रशासन ने वन्यजीवों के कारण पशुधन की हानि, मानव मृत्यु और चोट के मामलों के लिए अनुग्रह राशि मुआवजा योजनाएँ अधिसूचित की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित स्थानीय निवासियों को तत्काल राहत प्रदान करना है।

इसके अलावा, वन्यजीवों द्वारा फसलों को हुए नुकसान के लिए वर्तमान में कोई मुआवजा योजना नहीं है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख का वन्यजीव संरक्षण विभाग, स्थानीय समुदायों को चेन-लिंक बाड़ लगाकर कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह कार्यकलाप फसल की बर्बादी को कम करने तथा संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की आजीविका को सहायता देने के लिए तैयार किया गया है।

(ग) और (घ) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में तीन संरक्षित क्षेत्र (पीए) हैं:

- i. अधिक ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान (चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य)
- ii. काराकोरम (नुबरा-श्योक) वन्यजीव अभ्यारण्य
- iii. हेमिस उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान

लद्दाख में किसी विशिष्ट वन्यजीव गलियारे को औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है। तथापि, इस क्षेत्र के अद्वितीय और कमजोर उच्च-ऊंचाई वाले भू-दृश्य और हिम तेंदुओं, तिब्बती मृग (चिरु), जंगली याक और अन्य प्रवासी प्रजातियों जैसे वन्यजीवों की मुक्त-विचरण प्रकृति को देखते हुए, पूरे भू-दृश्य में, विशेष रूप से इन संरक्षित क्षेत्रों और आसपास के पर्यावासों, जिनमें सीमा पार के क्षेत्र भी शामिल हैं, के बीच प्राकृतिक आवागमन गलियारे मौजूद हैं।

वर्तमान में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए, बचाव और पुनर्वास केंद्र संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लेह और कारगिल दोनों जिलों में कार्यरत हैं, जो घायल जंगली जानवरों की आवश्यक देखभाल करते हैं, तथा उन्हें सुरक्षित रूप से उनके प्राकृतिक पर्यावासों में वापस छोड़ देते हैं।

मंत्रालय को अभी तक लद्दाख में वन्यजीव अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव तक प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*